वर्ष 4, संख्या 95 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

जुलाई 2007 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

राष्ट्रीय महिला आयोग के इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विवाहों का पंजीकरण बहुत आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि धर्म का ध्यान रखे बिना सभी विवाहों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा।

उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों से सीमित आधार की बजाय एक समान आधार पर इस निर्देश का पालन करने के लिए कहा है। अभी तक अन्य राज्यों ने जिन्होंने अनिवार्य पंजीकरण के लिए कानून बनाया है, ऐसा हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत किया है और मुसलमानों, इसाईयों तथा अन्य समुदायों को इस कानून के दायरे में नहीं लिया है।

आगे संभ्रांति या अस्पष्टता की कोई गुंजाइश न रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि यह निर्देश हर धर्म के सभी विवाहों पर लागू हो, न्यायालय ने सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को इस आशय का शपथ पत्र देने का आदेश दिया है कि इस कानून का आठ सप्ताहों के भीतर पालन किया जायेगा

चर्चा में विवाहों का पंजीकरण

और पालन न करने के विशेष कारण बताने के लिए भी कहा है।

निस्संदेह, उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय सही दियाा में एक सराहनीय कदम है। विवाहों के सरकारी अभिलेख से विवाह, गुजारा भत्ता, द्विविवाह, दहेज, उत्तराधिकार, बच्चों की अभिरक्षा और उनके अधिकारों आदि के क्षेत्रों में कानून के उल्लंघन को रोकने में मदद मिलेगी।

यह भी सर्वविदित है कि भारत में बहुत से विवाह कानून के विद्यमान प्रावधानों का उल्लंघन करके होते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम विद्यमान है और इसके तहत कम आयु में विवाह एक दण्डनीय अपराध है, फिर भी मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में समाज ऐसे विवाहों की मंजूरी देता है और ऐसे समारोह खुलेआम और बड़ी संख्या में होते हैं। द्विविवाह और अवैध व्यापार के मामले में शिकायत करने वाली पत्नी के लिए विवाह का प्रमाण न होने की स्थिति में अपनी वैवाहिक स्थिति सिद्ध करना प्राय: कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस खामी का विवाह से इन्कार करने के लिए बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया जाता है और इस प्रकार गुज़ारा भत्ता देने की नौबत नहीं आती अथवा महिलाओं को अपने पति की सम्पत्ति विरासत में पाने से रोका जाता है।

सती कानून कड़ा बनाया जायेगा

एक मंत्री समूह ने सती (निवारण) अधिनियम, 1987 में ऐसे संशोधनों की मंजूरी दी है जो पुलिस को उन समुदायों के विरुद्ध आरोप दायर करने जिनमें सती प्रथा अपनाई जाती है और पीड़ित के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही न करने का अधिकार देते हैं। ऐसे परिवर्तन करने पर सती होने का प्रयास करने वाली महिलाओं को पीड़ित न कि अपराधी समझा जायेगा और नये संशोधनों के तहत सती की किसी घटना के लिए पूरा समुदाय जवाबदेह ठहराया जायेगा।

प्रस्तावित परिवर्तन इस अपराध को रोकने के लिए कानून को कड़ा बनाने और अनिच्छुक महिलाओं को बलात चिता में धकेलने से बचाने के प्रयोजन से किये जा रहे है। इन संशोधनों के तहत एक महिला को सती होने के लिए बाध्य करना एक गैर-जमानती अपराध होगा। इस कानून के तहत कारावास की सज़ा बढ़ाकर कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक दस वर्ष कर दी गई है और जुर्माने की राशि 10,000 रूपये से बढ़ाकर 50,000 रूपये कर दी गई है।

इस के अतिरिक्त इस कानून को अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से इस कानून को अमल में लाने की जिम्मेदारी पंचायत के पदाधिकारियों पर डाली गई है। सती की किसी घटना की सूचना देना उनके लिए अनिवार्य होगा अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

महिलाओं के लिए 36 स्वास्थ्य वाहन

अब कमजोर वर्गों की महिलाओं को दवाई लेने के लिए औषधालय चलकर नहीं जाना पडेगा। दिल्ली सरकार ने स्त्री शक्ति कार्यक्रम के तहत कार्यरत महिला संसाधन केन्द्रों के लिए 36 चलती-फिरती स्वास्थ्य गाड़ियां उपलब्ध कराने का निणर्य लिया है।

घरेलू हिंसा अधिनियम पर कार्यशाला

राष्ट्रीय महिला आयोग ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पर बंगलौर में एक दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। अक्टूबर, 2006 में इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् इस प्रकार की यह दूसरी कार्यशाला थी जो महिलाओं को उन उपायों से अवगत कराने के लिए आयोजित की गई जो वे घरेलू हिंसा के मामले में अपना सकती हैं।

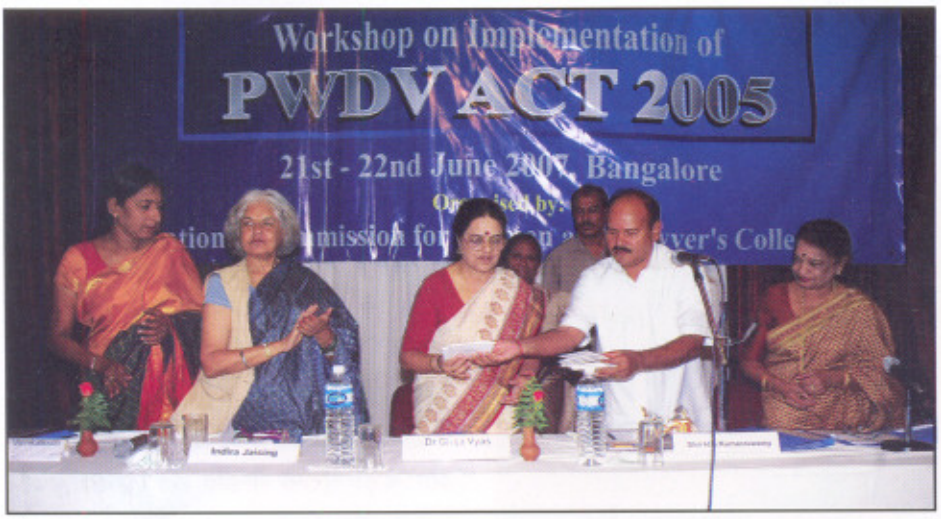

कार्यशाला में (बायें से) श्रीमती निर्मला वेंकटेश, श्रीमती इंदिरा जयसिंह, डा. गिरिजा व्यास, श्री एच.के. कुमार स्वामी और श्रीमती प्रमिला नेसरगी

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए राज्यों को इस अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। उनका कहना था कि यद्यपि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों ने इन अपेक्षाओं का पालन किया है तथापि उन्होंने ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की है जिनके पास काम का बोझ अधिक है। उनका सुझाव था कि गैर-सरकारी संगठनों जैसे सेवा प्रदायकों का भी पंजीकरण किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं की उन सेवाओं तक पहुंच हो सके जिनकी वे हकदार हैं। सार्वजनिक स्वास्थय देखभाल सुविधाओं, परामर्श सेवाओं, रैन बसेरों आदि की स्थापना करना भी आवश्यक है। डा. व्यास का कहना था कि अधिकांश पुलिस अधिकारी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत अपनी कोई भूमिका होने से इंकार करते हैं।

डा. व्यास ने कुछ विद्यमान विधेयकों में परिवर्तन करने के लिए आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यौन प्रहार विधेयक में संशोधन करके इसमें सताने और महिलाओं से छेड़छाड़ शब्द सम्मिलित किये जाने चाहिये।

हमने सजा कठोर बनाने और बलात्कार- पीड़ितों के लिए पुनर्वास का प्रावधान करने का सुझाव दिया है।

उन्होंने कहा कि कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन, अवैध व्यापार और डायनों की खोज सम्बधी विधेयकों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। उनका कहना था कि शहरी महिलाओं को भी इस कानून की जानकारी नहीं हैं। आयोग ने विद्यालय पाठयक्रम बदल कर इसमें इस अधिनियम के कुछ प्रावधान सम्मिलित करने की सिफारिश की है ताकि प्रत्येक लड़की अपने अधिकारों से अवगत हो।

इस कार्यशाला का उद्घाटन कर्नाटक के महिला और बाल विकास मंत्री श्री एच.के.कुमारस्वामी ने किया।

श्री कुमारस्वामी का कहना था कि कर्नाटक ने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 2.65 करोड रूपये की राशि आबंटित की है। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति 176 तालुकों में की गई है। अधिकाधिक का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। राज्य ने इस अधिनियम को कारगर रूप से लागू करने के लिए केन्द्र से हर वर्ष 10 करोड रूपये के अनुदान की मांग की है।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती प्रमिला नेसरगी ने सुझाव दिया कि अन्य अधिकारियों के बजाय सहायक सरकारी अभियोजकों की संरक्षण अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि करीब 70,000 पुलिस कर्मियों के लिए महिला संवेदीकरण कार्यक्रम गुलबर्ग, मंगलौर, मैसूरऔर हुबली के चार खण्डों में जुलाई में आरम्भ किया जायेगा और महिला संगठनों के साथ कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी।

लायर्स क्लेक्टिव की श्रीमती इंदिरा जयसिंह ने सुझाव दिया कि पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सेवाएं उपलब्ध की जानी चाहिए।

शिकायत कक्ष से

आयोग को गांव भंगेला, डाकखाना खतौली, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तरप्रदेश के निवासी कर्नल सुशील गिरी की पत्नी जसवन्ती देवी से अपने पति द्वारा अपने सेवा अभिलेखों में की गई जालसाजी के बारे में एक शिकायत मिली जिससे शिकायत करने वाली महिला को अपने पति से पेंशन प्रसुविधाएं आदि प्राप्त नहीं होंगी। श्री सुशील गिरी ने अपने सेवा अभिलेखों से अपनी पत्नी का नाम हटा दिया है और एक दूसरी महिला का नाम अभिलेखों में दर्ज कर दिया है जिसके साथ वह अवैध रूप से रह रहा है।

आयोग ने इस मामले का संज्ञान करते हुए निदेशक, अनुशासन और सतर्कता निदेशालय, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, सेना मुख्यालय, डाकखाना नई दिल्ली को एक पत्र लिखा।

राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप पर सुशील गिरी के वेतन और भत्ते से प्रतिमाह 22 प्रतिशत की कटौती करके शिकायत करने वाली महिला को निर्वाहभत्ता दिया जा रहा है। विवाहभत्ते की कटौती इस महिला का पति के साथ विवाह जारी रहने तक अथवा इस महिला की मृत्यु होने तक जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त, शिकायत करने वाली महिला को निर्वाह भत्ते की बकाया राशि भी दी जायेगी। तथापि बकाया राशि शिकायत करने वाली महिला के पति के वेतन और भत्ते की कुल राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अप्रैल से जून, 2007 के महीनों के दौरान शिकायत और जांच कक्ष में कुल 3876 शिकायतें दर्ज की गई। ये शिकायतें दहेज, दहेज मृत्यु, कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन, पुलिस उदासीनता आदि जैसे विभिन्न शीर्षों के तहत प्राप्त हुईं।

बाल बलात्कार के मामले

बाल बलात्कार के मामलों की सुनवाई को पीडित के लिए यथासंभव पीडाहीन बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधी को सज़ा मिले, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये हैं:

शिकायतें : ये पीडित, चश्मदीद गवाह या अपराध की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती हैं। इन्हें कम से कम उप-निरीक्षक के स्तर के साधारण कपड़े पहने अधिकारियों अधिमानत: महिला अधिकारियों द्वारा शीघ्र और सही ढंग से दर्ज किया जाना चाहिए।

अभिलेखन : अभिलेखन वीडियो सम्मेलन के मांध्यम से किया जाना चाहिए ताकि पीडित का अपराधी से सामना न हो। रिकार्डिंग थाने में नही की जानी चाहिए और इसके बजाय पीडित के निवास पर की जानी चाहिए। रिकार्डिंग में मनोवैज्ञानिक का उपस्थित रहना अभीष्ट है। पीडित और परिवार की पहचान गुप्त रखी जानी चाहिए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पीड़ित द्वारा विरोध और अभियुक्त द्वारा बल प्रयोग के संकेतक चिहनों के चित्र लिये जाने चाहिए।

चिकित्सीय जांच: दोनों पीडित और अभियुक्त की अधिमानत: अपराध होने के बाद 24 घंटे के भीतर जांच की जानी चाहिए। स्त्रीरोग विशेषज्ञ को घटना के ब्योरे की रिकार्डिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। जांच अधिकारी को पीडित और अभियुक्त के कपड़े 10 दिन के भीतर न्यायालीय जांच के लिए भेजने चाहिए और रक्त समूहों तथा डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग पर रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए। न्यायालीय रिपोर्ट कुछ महीनों के भीतर तैयार होनी चाहिए।

प्रकरण पंजीकरण : ऐसा करने के पश्चात जांच अधिकारियों को साक्ष्य जुटाने के लिए अपराध स्थलों का निरीक्षण करना चाहिए। जांच प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए और पंजीकरण के पश्चात् 90 दिन के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

पुस्तक विमोचन समारोह में डा. गिरिजा व्यास (बायें से तीसरी)

विश्व हिन्दी सम्मेलन

भारतीय विद्या भवन तथा न्यूयार्क (अमेरिका) में आधारित अन्य संगठनों के सहयोग से भारत सरकार द्वारा 8 वां विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय था-'विश्व स्तर पर हिन्दी'। उद्घाटन समारोह में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव समेत विश्व के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया।

भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने 'संयुक्त राष्ट्र संगठन में हिन्दी' अधिवेशन की अध्यक्षता की। उन्होनें कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र की एक औपचारिक भाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता दिलाने के लिए सतत अपने प्रयास कर रहा है क्योंकि विश्व में लाखों लोग हिन्दी बोलते हैं और यह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने की स्थिति में है। उन्होनें कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों में अनेकों हिन्दी पीठ स्थापित हुई हैं।

साहस की मिसाल

उड़ीसा के एक गांव में एक दूल्हे और उसके साथ बारात में आये उसके मित्रों द्वारा नशे की हालत में दुल्हन के गांव में उपद्रव करने पर दुल्हन के घर पर उसके रिश्तेदारों और गांव वालों ने दूल्हें को बंद कर दिया। बाद में दुल्हन ने मदोन्मत दूल्हे के साथ विवाह करने से इन्कार कर दिया।

क्षमा याचना करने पर दूल्हे को गांव वालों के पंजों से छुड़ाया गया और जेवरात समेत दहेज की सभी वस्तुएं, जो पहले दुल्हन के परिवार द्वारा दी गई थीं, लौटाने पर बारात को खाली हाथ लौटना पड़ा।

क्या आप जानते है?

- उच्चतम न्यायालय में सभी 23 न्यायाधीश पुरूष हैं।
- दिल्ली उच्च न्यायालय में 32 न्यायाधीशों में से केवल पांच महिलाएं है।
- मुम्बई उच्च न्यायालय में 56 न्यायाधीशों में से केवल पांच महिलाएं है।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 81 न्यायाधीशों में से केवल चार महिलाएं है।

महत्वपूर्ण निर्णय

- **विवाहित महिला को पति के घर में रहने का अधिकार है :** मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि एक विधिवत विवाहित महिला अपने पति के साझे के घर में रहने का अधिकार रखती है चाहे वह उस घर में नहीं रहती है। न्यायालय के अनुसार एक महिला के लिए (कानूनी) कार्यवाही आरम्भ होने के समय या उससे पहले साझे के घर में भौतिक रूप से निवास सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। यदि कोई ऐसा सम्बन्ध है जिसकी कानून मंजूरी देता है तो उस सम्बन्ध में एक महिला को साझे के घर में रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अत: वह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत संरक्षण की हकदार होगी।

- **वेतन वृद्धि के साथ निर्वाह भत्ते में वृद्धि :** मुम्बई उच्च न्यायालय ने एक सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दिया कि एक पुरूष के वेतन में जब भी वृद्धि होती है वह अपनी भूतपूर्व पत्नी को जो निर्वाह भत्ता देता है उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए।

- **दिल्ली उच्च न्यायालय में शिशुसदन होगा:** दिल्ली उच्च न्यायालय प्रशासन महिला वकीलों की सुविधा के लिए 3 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों की दिन में देखभाल के लिए अपने परिसर में एक शिशुसदन खोलने का इरादा रखता है। न्यायालय एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दायर एक लोक-हित याचिका की सुनवाई कर रहा था जिस में कहा गया था कि अनेक सुस्थापित महिला वकीलों को अपना व्यवसाय छोड़ना पड़ा क्योंकि एक समुचित देखभाल केन्द्र के होने के कारण उन्हें अपने बच्चों के साथ घर पर रहना पड़ता था।

- **इसलामी न्यायालय ने महिला को पुनर्विवाह की इजाज़त दी :** मुजफ्फरनगर के एक इसलामी न्यायालय ने एक मुसलमान महिला को जिसका पति पिछले पांच वर्षो से लापता था पुन: विवाह करने की इजाज़त दी है।

  महिला ने अपने बयान में कहा कि जब से उसका पति लापता है वह अपने मां-बाप के साथ रह रही है।

सदस्यों के दौरे

- सदस्या श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने शांति निकेतन स्थित विश्वभारती का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजे गये विभिन्न प्रस्तावों के बारे में महिला अध्ययन कक्ष के साथ एक बैठक में भाग लिया।

  कोलकाता लौटते हुए उन्होनें बाल विवाह, दहेज और अवैध व्यापार पर मीडिया के लोगों के लिए अलीपुर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जिला सूचना और संस्कृति अधिकारी द्वारा आयोजित एक बैठक में भाग लिया।

  बाद में उन्होनें एक महिला उत्पीड़न मामले में साह अणु भौतिकी संस्थान में जांच समिति के साथ एक बैठक की। उन्होनें नंदन फिल्म केन्द्र में मीडिया में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर एक भाषण भी दिया।

- सदस्या नीवा कंवर ने पूर्वोत्तर भारत में स्वदेशी महिलाओं के भू-अधिकारों पर इटानगर में आयोजित दो-दिवसीय क्षेत्रीय सेमिनार में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती कंवर ने कहा कि राज्य

सेमिनार में सदस्या नीवा कंवर (दांये से दूसरी) श्री एन.पी.गुप्ता बीच में बैठे हैं

सरकार को महिलाओं के लिए एक राज्य नीति बनानी चाहिए और कृषि, बुनाई और कपड़े के व्यवसाय में काम करने वाली महिलाओं की सहायता करने के लिए गांव -स्तरीय व्यापार केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए ताकि आर्थिक दृष्टि से उनका शक्तिकरण किया जा सके। आयोग के सदस्य सचिव श्री एन.पी.गुप्ता ने भी उपस्थित लोगों को सम्बोधित किया।

बाद में श्रीमती कंवर ने स्व सहायी समूह के अरूणाचल प्रदेश के जिरो जिला स्थित उत्पादन केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होनें अप्पातानी गांव का भी दौरा किया जहां उन्होनें धान और पिस्सी खेती का अद्वितीय मिश्रण देखा। तत्पश्चात् उन्होनें एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित एक अनाथालय का दौरा किया।

- सदस्या यस्मीन अबरार ने राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान, लखनऊ के नैमितिक कर्मकारों की समस्याओं के बारे में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के साथ एक बैठक की।

- सदस्या निर्मला बेंकटेश ने बंगलौर का दौरा किया और घरेलू हिंसा अधिनियम पर कार्यक्रमों के बारे में महिला संगठनों के साथ बैठकें की। उन्होनें बंगलौर में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित घरेलू हिंसा अधिनियम पर सम्मेलन में भी भाग लिया। बाद में उन्होनें हैदराबाद में 'अपसा' द्वारा अवैध व्यापार पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होनें बंगलौर स्थित केनरा बैंक के महिला बैंकरों की बैठक में भी भाग लिया।

  सदस्या मंजू हेमब्राम ने विमेन पावर कानेक्ट द्वारा रांची में आयोजित अवैध व्यापार पर कार्यशाला में भाग लिया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा के अलावा विमेन पावर कन्नेक्ट के सचिव, अनेक गैर-सरकारी संगठनों तथा महिला संगठनों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। अवैध व्यापार की वर्तमान स्थिति के बारे में उन्होनें अपने विचार व्यक्त किये, अवैध व्यापार सम्बन्धी कानूनों को अमल में लाने में आने वाली कठिनाइयों का ब्यौरा दिया और इसे रोकने के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया।

अग्रेतर सूचना के लिए देखें हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सब-अर्बन प्रेस, 244/5, गली नं. 13, थान सिंह नगर, आनंद पर्वत, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित • सम्पादक : गौरी सेन